भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND 11AA 815030

- 9 JAN 2012

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

प्ररूप–26

(नियम 4क देखिए)

21, कैन्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

मैं **पण्डित मदन गोपाल चौबे** पुत्र **स्व. श्री तुलसी राम** आयु **63** वर्ष, जो **204/181, गुरू रोड़, नई बस्ती, गांधी ग्राम, देहरादून,** उत्तराखण्ड का निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं:–

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षक अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं –

(ii) पुलिस थाना (थाने) शून्य जिला या जिले शून्य राज्य –

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारायें) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है –

पं.मदन गोपाल चौबे

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गयी –
(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था/किए गए थे. –
(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गयी है/हैं.–

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाल`किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नही ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।
(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा):

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याऐं –
(ii) न्यायालय जिसने दंडित किया है –
(iii) पुलिस थाना (थाने) – जिला (जिले) – राज्य –
(iv) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे –
(v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे –
(vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं –

स्थानः **देहरादून**
तारीखः **11.01.2012**

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

पं. मदनगोपाल चौबे

सत्यापन

मैं, उपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता हूं कि इस शपथपत्र में अर्न्तवस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गई है।

कैन्ट, देहरादून स्थान पर आज तारीख **11.01.2012** को सत्यापित किया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

पं. मदनगोपाल चौबे

NOTARY * UTTARANCHAL
Km. Urmila Bhatia
Advocate
Regd. No. 69/01/02
Dehra Dun

This Affidavit is Sworn before me
Shri पं. मदनगोपाल चौबे
who is identified by shri ....
at Dehradun on 11/1/12

Km. URMILA BHATIA
Advocate & NOTARY, Derha Dun